बीस हजार लेते दबोचा गया सीजीएसटी निरीक्षक

लोकायुक्त रीवा की टीम ने सीजीएसटी कार्यालय में छापेमारी कर रंगे हाथ पकड़ा, ई-वे बिल पास करने के एवज में मांगे थे 60 हजार

नवभारत न्यूज

सतना, 3 दिसंबर. लोकायुक्त द्वारा राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले तो कई बार सामने आ चुके हैं. लेकिन सेंट्रल जीएसटी के निरीक्षक को उसके कार्यालय में ही घूस लेते हुए दबोचने की घटना पहली बार सामने आई है. लोकायुक्त रीवा की 10 सदस्यीय टीम ने सीजीएसटी निरीक्षक को 20 हजार रु. की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की.

लोकायुक्त संभाग रीवा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरेंद्र कुमार शर्मा पिता कोदू प्रसाद उम्र 33 वर्ष निवासी राजेंद्र नगर सतना द्वारा 29 नवंबर को शिकायत की गई थी.लोकायुक्त रीवा को सौंपे गए अपने शिकायती आवेदन में वीरेंद्र द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि जिले के मझगवां क्षेत्र में स्थित फर्म कैलाशराज ट्रैक्टर्स का ई-वे बिल की पेनाल्टी न लगाने और छापा न डालने के एवज 60 हजार रु की रिश्वत मांगी जा रही है. यह रिश्वत कोई नहीं बल्कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग प्रभाग सतना की निवारक शाखा में बतौर निरीक्षक पदस्थ कुमार सौरभ द्वारा मांगी जा रही है. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसपी लोकायुक्त द्वारा सत्यापन कराया गया. सत्यापन में शिकायत की पुष्टि होने पर सीजीएसटी के निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ने की व्यूह रचना तैयारी की जाने लगी. निर्धारित योजना के अनुसार शिकायतकर्त्ता वीरेंद्र पाउडर लगे हुए 20 हजार लेकर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग प्रभाग सतना कार्यालय में पहुंच गए. सीजीएसटी निरीक्षक कुमार सौरभ को जैसे ही रिश्वत की रकम सौंपने के बाद वीरेंद्र ने इशारा किया. वैसे ही पहले से तैयार 10 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने निरीक्षक को दबोच लिया. हलांकि कार्रवाई होती देख पहले तो जीएसटी निरीक्षक ने अपने केंद्रीय कर्मचारी होने का रुआब गांठने का प्रयास किया. लेकिन लोकायुक्त टीम के सख्त रवैऐ को देखते हुए कुछ ही देर में जीएसटी निरीक्षक अपना चेहरा छिपाने के लिए मजबूर हो गया. रंगे हाथ दबोचने के बाद लोकायुक्त की टीम आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी निरीक्षक को सर्किट हाउस में ले आई. जहां के कक्ष क्र. 2 में उससे पूछताछ करने के साथ ही प्रकरण से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य एकत्रित किए गए. जिसके बाद आरोपी निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की गई.

कार्रवाई से मचा हड़कंच

बाहर से किसी अभेद्य किले की तरह नजर आने वाले सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में धड़ाधड़ प्रवेश करते हुए लोकायुक्त रीवा की टीम ने जैसे ही सीजीएसटी निरीक्षक को दबोचा वैसे ही कार्यालय के भीतर हड़कंप मच गया. कार्यालय में पदस्थ कुछ ऐसे कर्मचारी जो टैक्स सेटलमेंट के नाम पर खुले आम रिश्वत मांगते सुने जाते थे, कार्रवाई को देख वे भी सकते में आ गए. हलांकि कार्यालय के भीतर अपने सहकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई होती देख कुछ कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप करने के लिए कहा. लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी ने उचित दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझी.

दिखाई 7 लाख की धौंस

सीजीएसटी निरीक्षक कुमार सौरभ और शिकायतकर्त्ता वीरेंद्र के बीच व्हाट्सएप चैट में लेन-देन का स्पष्ट उल्लेख है. जिसमें टैक्सेबल सप्लाई का 18 फीसदी, 60 फीसदी ब्याज और पेनाल्टी को जोड़कर एक साल का 7 लाख रु का हिसाब बना दिया गया. वहीं कार्रवाई से बचने के लिए पहले 70 हजार मांगे गए. जिसे वीरेंद्र के निवेदन पर घटाकर 60 हजार कर दिया गया. गौरतलब है कि सीजीएसटी निरीक्षक कुमार सौरभ के अधिकार क्षेत्र में प्रिवेंटिव के अंतर्गत धारा 64 और 74 के केस आते थे. बताया गया कि अनैतिक तरीके से दबाव बनाकर अवैध वसूली की कार्यशैली के चलते कई कारोबारी सीजीएसटी निरीक्षक से खासे परेशान थे. लेकिन वे खुलकर शिकायत करने से डरते थे. ट्रैप कार्रवाई की जानकारी सामने आने पर कई कारोबारियों ने संतुष्टि जाहिर की.

रायगढ़ में आरपीएफ जवान ने प्रधान आरक्षक को मारी गोली

ड्यूटी के दौरान हुआ विवाद

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 दिसम्बर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन में आरपीएफ पोस्ट के भीतर ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक ने अपने ही साथी प्रधान आरक्षक को गोली मार दी. गोली लगने से प्रधान आरक्षक पी.के मिश्रा की मौके पर मौत हो गई.

गोली चलाने वाला एस लादेर है जो कि जांचगीर चांपा का रहने वाला है. वही मृतक पी.के मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले है. घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे है. वही आरपीएफ पोस्ट को सील कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरपीएफ पोस्ट में गोली चलने के बाद अफरा-तफरी मच गई. बताया गया है कि दोनो बैच मेट थे और आपस में मित्र भी थे. ड्यूटी रात में लगी थी किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और तड़के करीब 4 बजे आरोपी एस लादेर ने पीके मिश्रा के सिर पर चार राउंड फायर किया.जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बताया गया है कि मृतक पीके मिश्रा 2001 में ज्वाइन किये थे और साढ़े 3 साल पहले अनूपपुर से ट्रांसफर होकर रायगढ़ गये थे. अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, जबकि बेटा हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा है. प्रधान आरक्षक पीके मिश्रा पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे और रात को थाना पहुंचे थे जहा उनके साथी ने गोली मारी.

कृषि अभियांत्रिकी में किया गया सुपर सीडर का प्रदर्शन

सतना. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सतना डॉ. सतीश कुमार एस के द्वारा नरवाई प्रबंधन के लिये चलाई जा रही मुहिम के अन्तर्गत कृषक उमाशंकर तिवारी ग्राम हरदुआ तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना में नरवाई प्रबंधन के लिये सुपर सीडर का जीवंत प्रदर्शन किया गया। यह यंत्र पराली प्रबंधन के लिये बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इस यंत्र के माध्यम से किसान धान की कटाई के उपरांत गेंहू की सीधी बुवाई कर सकता है।

रीवा संभाग ई-ऑफिस में प्रदेश में प्रथम स्थान पर

कुल 8780 फाइलें ई-ऑफिस से बनाई गईं

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 दिसम्बर, प्रशासनिक नवाचार के तहत ई आफिस व्यवस्था लागू की गई है. अब कार्यालयों के अंदर तथा अन्य कार्यालयों में फाइलों का संचालन ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है.

ई आफिस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करके रीवा संभाग में संभागीय रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. इस संबंध में कमिश्नर बीएस जामोद ने बताया कि रीवा संभाग में कुल 8780 फाइलें ई आफिस में क्रिएट की गईं तथा 37159 फाइलों का मूवमेंट हुआ. प्रदेश में दूसरे स्थान पर नर्मदापुरम संभाग है, जिसमें 4431 फाइलों का क्रिएशन तथा 31621 फाइलों का मूवमेंट हुआ है. तीसरे स्थान पर ग्वालियर संभाग है. इसमें 1922 फाइलों का

क्रिएशन तथा 18322 फाइलों का मूवमेंट हुआ है. कमिश्नर ने बताया कि प्रदेश स्तर में संभाग और जिलों की सामूहिक रैंकिंग में सभी जिले और संभाग शामिल किए गए हैं. इनकी कुल संख्या 65 है. सामूहिक रैंकिंग में रीवा संभाग को 11वां स्थान मिला है. इस रैंकिंग में रीवा जिला 25वें स्थान पर है. रीवा जिले में 4111 फाइलें क्रिएट हुई हैं तथा 22361 फाइलों का मूवमेंट हुआ है. रैंकिंग में सिंगरौली जिला 37वें, मऊगंज जिला 44वें, सतना जिला 45वें, सीधी जिला 55वें तथा मैहर जिला 59वें स्थान पर है. कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को ई आफिस प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा सभी जिला कार्यालयों में इसे दृढ़ता से लागू कराने के निर्देश दिए हैं. ई आफिस के माध्यम से कम श्रम और कम समय में फाइलों का मूवमेंट और निराकरण हो रहा है. यह सुशासन को मजबूत करने के लिए सराहनीय पहल है.

धान के अवैध उपार्जन पर लगा प्रतिबंध

नवभारत न्यूज

सिंगरौली, 3 दिसम्बर। कलेक्टर गौरव बैनल के द्वारा धान खरीदी केन्द्रो पर धान के अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रतिबंध उपार्जन अवधि 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहने से संबंधित आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के तहत उप सचिव म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफसीएस 43/4/0003/2025 30 अक्टूबर को जारी उपार्जन नीति अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जारी नीति के क्रियान्वन के लिए एसओपी जारी की गई है। जिसकी कण्डिका 19.5 में खरीदी केन्द्रो पर उपज की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए है। जिले के व्यापारियों द्वारा क्रय कर भण्डारित की गई धान की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तथा सचिव कृषि उपज मण्डी को गोदाम बंद किए जाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही प्रतिबंध उपार्जन अवधि 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में धान निकासी की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा लिखित में दी जायेगी।

अधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में निकासी की जायेंगी। साथ ही अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा की किसी भी स्थिति में उक्त धान उपार्जन केन्द्र में बिक्री के लिए नही लाई जायेंगी एवं जीन्स की गुणवत्ता को याथास्थिति बनाये रखने के लिए कीटोपचार की कार्यवाही की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से की जा सकेगी।

दो तस्करों के कब्जे से 5 किलो गांजा जब्त

खुटार चौकी पुलिस ने हर्दी पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोचा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली, 3 दिसम्बर। खुटार चौकी पुलिस ने हर्दी पेट्रोल पंप के पीछे पगडण्डी रास्ता में घेराबंदी करते हुये दो आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 5 ग्राम बाजार कीमत 75 हजार रूपये का गांजा जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार की है। चौकी प्रभारी शीतला यादव की उक्त कार्रवाई में भूमिका सराहनीय रही।

खुटार चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शीतला यादव को मुखबिरों के जरिये सूचना मिली कि हर्दी पेट्रोल पम्प के पीछे पगडण्डी रास्ता में दो व्यक्ति एक नीले रंग के पिण्डू बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री एवं परिवहन करने के फिराक में है। सूचना की तस्दीक करने के लिए चौकी प्रभारी खुटार ने गठित पुलिस टीम को रवाना किया। पुलिस टीम ने पेट्रोल पंप के समीप पगडण्डी रास्ते में घेराबंदी कर दो युवको को दबोचा। जहां उनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार चौकी प्रभारी ने उक्त मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। जहां एसपी एवं एएसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुये आरोपी संजय कुमार यादव पिता गोमती प्रसाद यादव उम्र 29 वर्ष निवासी छतौली एवं प्रदीप कुमार विश्वकर्मा पिता अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 18 वर्ष 6 माह निवासी मझौली के कब्जे से कुल 5 किलो 5 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 75 हजार रूपये की जप्त की गयी। आरोपियों के विरूद्ध धारा 8/20 (बी)एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में उपनिरीक्षक शीतला यादव, सउनि मनीष सेन, प्रआर उमेश विश्वकर्मा, गणेश मीणा, राय सिंह, रावेन्द्र सिंह, सच्चिदानंद तिवारी, रामबहोर रावत, आर रमेश यादव, गौरव यादव, उमेश, विनोद शाक्य, राजेश यादव, अभिषेक कुशवाहा की सराहनीय योगदान रहा।

युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

सेमरिया थाना अन्तर्गत करौंदिया गांव के तालाब में मिला शव

नवभारत न्यूज

सीधी, 3 दिसम्बर. जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत ग्राम करौंदिया में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव तालाब के किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। मृतक की पहचान अरविंद पाण्डेय पिता संतोष प्रसाद पाण्डेय उम्र 39 वर्ष निवासी करौंदिया के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना फैलते ही लोगों का भारी हुजूम मौके पर जमा हो गया।

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सेमरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उधर परिजनों का कहना था कि अरविन्द पाण्डेय बीती शाम घर से अचानक लापता हो गये थे, परिजन पूरी रात खोजबीन करते रहे लेकिन कोई पता नहीं चला। आज सुबह गांव वालों ने तालाब के पास शव देखा। परिजनों का कहना था कि मृतक के शरीर पर कई निशान दिखाई दे रहे हैं जिससे हत्या की आशंका है। सेमरिया पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाई के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल की मर्चुरी पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरो की टीम ने पोस्टमार्टम किया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिजनों व ग्रामीणों से पूंछतांछ भी की जा रही है।

इनका कहना है

करौंदिया तालाब में आज युवक का शव पाया गया। सूचना मिलने पर वे स्वत- पुलिस टीम के साथ मौके पर गये थे। पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कार्यवाई के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों द्वारा शव का बिसरा भी प्रयोगशाला जांच के लिये सुरक्षित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के पश्चात मौत के कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलेगी।

केदार परौहा,
थाना प्रभारी सेमरिया

बीमारी से परेशान युवक ने फांसी लगाई

चितरंगी थाना के बसनिया गांव की घटना

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 दिसम्बर। चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बसनिया निवासी एक 26 वर्षीय युवक पक्षघात की बीमारी से पिछले तीन महीनो से परेशान था कि आज दिन बुधवार की सुबह घर के समीप पहाड़ी पेड़ की डाली पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बसनिया निवासी दादूलाल सिंह गोड़ पिता फत्ते सिंह गोड़ उम्र 26 वर्ष पिछले तीन महीने से पक्षघात की बीमारी से परेशान था। जिसका इलाज वाराणसी से चल रहा था कि आज सुबह घर की महिलाएं जंगल में लकड़ी काटने और मृतक का पिता खेत जोतने एवं मॉ मवेशी चराने गई थी। घर में अकेला था। आज सुबह घर के पीछे पहाड़ी के जंगल में फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या कर लिया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके से पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुये मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है।

13 साल की किशोरी ने बच्ची को दिया जन्म

मोरवा थाना क्षेत्र के एक 13 वर्षीय किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दी है। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना एवं आरोपी की तलाश में जुट गई। जानकारी के अनुसार एक 13 साल की किशोरी को आज प्रसव की पीड़ा हुई। जहां कुछ देर बाद उसने एक बच्ची को जन्म दी। इसके बाद किशोरी के परिजन थाना पहुंच आरोपी राकेश साकेत निवासी मुहेर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया है। पुलिस आरोपी के तलाश में लग गई है। घटना की पुष्टि मोरवा पुलिस ने की है।

कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र और निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

सतना, 03 दिसम्बर. कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने बुधवार को अधिकारियों के साथ सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र का भ्रमण कर विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एमएसएमई के अधीन औद्योगिक क्षेत्र मटेहना के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान रामपुर बघेलान के कोनिया में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हितग्राही दिनकर कुशवाहा द्वारा बनाये गये बायो ब्लाक टैंक के निर्माण का निरीक्षण कर हितग्राही से होने वाले लाभ की जानकारी ली। कलेक्टर ने इस दौरान धान उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण कर उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सेवा समिति किशनगढ के उपार्जन केन्द्र और समीप की पाठशाला में जाकर अध्ययन-अध्यापन का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने रामपुर बघेलान से खारी तपा पहुंच मार्ग और बगहाई रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य और रीवा-सतना रेल्वे लाइन के दोहरीकरण में आ रही स्थानीय समस्याओं का मौके पर निरीक्षण कर एसडीएम सहित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम रामपुर बघेलान बीके मिश्रा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित
कार्यालय संपदा एवं निर्माण संभाग क्रमांक-2
आई.आई.डी.सी.प्लाजा, 39 सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
दूरभाष : 0751-2439024
क्रमांक लउनि/निर्माण/सं.-ग्वा./2025-26/07 दिनांक : 03.12.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों की निविदा ई-टेण्डरिग पद्धति (Online System) से वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। 1. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम-बडागांव, तहसील-देवेन्द्रनगर जिला पन्ना में सीमेंट कांक्रीट रोड, आर.सी.सी.ड्रेन, आर.सी.सी. ह्यूम पाइप कल्वर्ट एवं वृक्षारोपण का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 17,65,019,77/- 2. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम- बडागांव, तहसील- देवेन्द्रनगर जिला पन्ना में जलप्रदाय मय नलकूप खनन, आर.सी.सी. ओव्हर हेड टैंक, सम्पवेल एवं वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 1,78,49,181/-3. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम-बाडीटोला तहसील-गोपदबनास जिला सीधी में सीमेंट कांक्रीट रोड, आर.सी.सी.ड्रेन, आर.सी.सी.ह्यूम पाइप कल्वर्ट एवं वृक्षारोपण का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत- रु. 3,62,10,830/- 4. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम-बाडीटोला तहसील- गोपदबनास जिला सीधी में जलप्रदाय मय नलकूप खनन, आर.सी.सी. ओव्हर हेड टैंक, सम्पवेल, एवं वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत-रु. 99,05,690/-। निविदाओं की बिड जमा करने की अंतिम तिथि 19.12.2025 सायं 5.30 बजे। निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा में संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो उसकी जानकारी मात्र उपरोक्त वेबसाइट पर दी जावेगी पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा, बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/123322/2025 महाप्रबंधक (सं./नि.)

शताब्दी के बाद वन्दे भारत की तत्काल टिकट ओटीपी पर

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली आरक्षण काउंटर पर भी लागू होगी

नवभारत न्यूज

सतना, 3 दिसम्बर. रेल प्रशासन द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु चयनित ट्रेनों के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया गया है।

यह ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली गाड़ी संख्या 12001/02 में रानी कमलापति-नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस में पहले से ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। 03 दिसम्बर से इन वंदे भारत एक्सप्रेस में भी नई व्यस्वथा प्रभावी है। गाड़ी संख्या 20171 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 20173/74 रानी कमलापति-रीवा-रानी मलापति वंदे भारत एक्सप्रेस पर लागू होगी.

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि इस नई संशोधित व्यवस्था के तहत तत्काल टिकट वेबसाइट/ऐप/ आनलाइन के अतिरिक्त कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर के माध्यम जारी से भी केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। बुकिंग के दौरान सिस्टम द्वारा एक वन-टाइम पासवर्ड ओटीपी जनरेट किया जाएगा, जो उपयोगकर्ता/यात्री द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तत्काल टिकट सफल ओटीपी वैधता के पश्चात ही जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था फर्जी बुकिंग को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने एवं यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा मौजा कोलगवां, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99